



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

E-Mail ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक

/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/औ०सं०/

दिनांक: 27/08/2025

विषय:- हड़ताल निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष/महासचिव/प्रधान महामंत्री/महामंत्री
समस्त संगठन/यूनियन/संघ,

.....।

कृपया अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 537/1(2)/2025-05-107/2003 देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध की गयी है।

उक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉ० आर० जे० मलिक)
अधिशाली निदेशक(मा०सं०)

पत्रांक 3947 /अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/औ०सं०/ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त/परियोजना/परिचालन), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (विधि) एवं कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि, गढ़वाल/हरिद्वार/कुमाऊं/रूद्रपुर क्षेत्र।
6. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,।
8. समस्त अधिशाली अभियन्ता, उपाकालि,।
9. अधिशाली अभियन्ता (सू०प्र०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. नोटिस बोर्ड।

(डॉ० आर० जे० मलिक)
अधिशाली निदेशक(मा०सं०)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या:- 537/1(2)/2025-05-107/2003
देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2025

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 537/1(2)/2025-05-107/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
- 2 - पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 3 - आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 6- संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेख सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। असाधारण गजट की 100 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 7- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।
- 9- प्रभारी, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर।
- 10- गाडे फाइल।

आइए से
(गीता शर्मा)
अनु सचिव।